Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम श्रीडूंगरगढ

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,

गोमतीदेवी पुत्री स्व. ईशरराम पत्नी पूर्णाराम जाति खाती निवासी ग्राम जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ हाल निवासीनी वार्ड नंबर 9 2KLD 33 KJD उदयनगर खाजूवाला जिला बीकानेर

बनाम शंकरराम वगै.

U/S 212 RTA

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 114/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.08.2023	आज यह प्रार्थना पत्र गोमतीदेवी ने जरिये श्री ललित मारू अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 195 तादादी 2.7300 हैक्टेयर, वाकेरोही जालबसर तहसील श्रीडूंगरगढ में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 01.09.2023 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 01.09.2023 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
10.8.2023	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता श्री रा. प्रा.पत्र मिसल पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में ली गयी। वादी द्वारा प्रा.पत्र दावा विड्रोल करने का पेश कर निवेदन किया गया कि वादिनी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है जिनके मध्य लोक अदालत [illegible] गया है। वादिनी विचाराधीन [illegible] कोई कार्यवाही जारी [illegible] दावा Not Press [illegible] अतः प्रार्थिनी [illegible] पत्र के आधार पर वादिनी दावा Not Press करने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील पूर्ति वाजिब [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 12:32:56 IST
Reason: SelfAttested